



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022021-225178
CG-DL-E-16022021-225178

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942

No. 622]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2021

का.आ. 676(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4072 (अ) तारीख 10 नवम्बर 2020 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख तारीख 12 नवम्बर 2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में नाचना से पचपदरा रिफाइनरी तक पानी के परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 28 नवम्बर 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

कम सं.	गाँव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
तहसील : गिडा			जिला : बाड़मेर		
			राज्य : राजस्थान		
1	सोहड़ा	341 / 241	00	34	68
		342 / 241 (सरकारी भूमि)			
		245	00	76	24
2	गिडा	466 / 98	00	03	82
		348 / 99	00	51	78
		349 / 99	00	25	00
		361 / 99	00	26	30
		103 (सरकारी भूमि)	00	05	09
3	गौगासर	428 / 362 (सरकारी भूमि)	00	29	66
		439 / 379 (सरकारी भूमि)	01	04	02
4	चक उत्तरणी	15	01	00	83
5	चैनपुरा	100 / 1	00	70	11
		102 / 2	00	10	85
6	उत्तरणी	282 / 241	00	78	07
		247	00	08	19
7	माताजी की भाखरी	559 / 227 (सरकारी भूमि)	00	01	15
		371 / 227	00	45	24
		369 / 226 (सरकारी भूमि)	00	10	73
		374 / 228	00	41	86
		379 / 233 (सरकारी भूमि)	00	01	27
8	केराला	162	00	12	05
		166	00	06	80
9	खारापार	131	00	07	50
		236 / 166	00	07	10
		228 / 163	00	03	64
		211 / 157	00	85	60
		239 / 174	00	05	88
10	पाना देवडा	7	00	08	41
		66 / 36	00	14	14
		96 / 52	00	02	47
तहसील : पचपदरा			जिला : बाड़मेर		
			राज्य : राजस्थान		
11	गुगरी	116 / 34	00	05	52
		117 / 34			
		118 / 34			
		217 / 36 (सरकारी भूमि)	00	10	48
		37	00	02	83
		38	00	06	36
12	बागुण्डी	5 / 169 (सरकारी भूमि)	00	21	91
		188 / 6 (सरकारी भूमि)	00	52	99
		189 / 6 (सरकारी भूमि)			
		190 / 6 (सरकारी भूमि)			
		196 / 9 (सरकारी भूमि)	00	03	75

क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		197 / 9 (सरकारी भूमि)			
		198 / 9 (सरकारी भूमि)			
		271 / 61 (सरकारी भूमि)	00	06	19
		272 / 61 (सरकारी भूमि)			
		273 / 61 (सरकारी भूमि)			
		269 / 60	00	03	11
		270 / 60 (सरकारी भूमि)			
		193 / 8 (सरकारी भूमि)	00	05	40
		194 / 8 (सरकारी भूमि)			
		195 / 8 (सरकारी भूमि)			
		335 / 114	00	23	91
		336 / 114			
		337 / 114			
		332 / 112	00	40	00
		333 / 112 (सरकारी भूमि)			
		334 / 112			

[फा.सं. आर-11025/1/2019-OR-I/E-31849]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th February, 2021

S.O. 676(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 4072 (E) Dated 10th November 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 12th November 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Rajasthan for transportation of Water from Nachana to Pachpadra Refinery by HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 28th November 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan), free from all encumbrances.

HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan), shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
TEHSIL : GIDA		DISTRICT : BARMER	STATE : RAJASTHAN		
1	SOHADA	341/241	00	34	68
		342/241 (G/L)			
		245	00	76	24
2	GIDA	466/98	00	03	82
		348/99	00	51	78
		349/99	00	25	00
		361/99	00	26	30
		103 (G/L)	00	05	09
3	GAUGASAR	428/362 (G/L)	00	29	66
		439/379 (G/L)	01	04	02
4	CHAK UTARANI	15	01	00	83
5	CHAINPURA	100/1	00	70	11
		102/2	00	10	85
6	UTARANI	282/241	00	78	07
		247	00	08	19
7	MATAJI KI BHAKHRI	559/227 (G/L)	00	01	15
		371/227	00	45	24
		369/226 (G/L)	00	10	73
		374/228	00	41	86
		379/233 (G/L)	00	01	27
8	KERALA	162	00	12	05
		166	00	06	80
9	KHARAPAR	131	00	07	50
		236/166	00	07	10
		228/163	00	03	64
		211/157	00	85	60
		239/174	00	05	88
10	PANA DEVDA	7	00	08	41
		66/36	00	14	14
		96/52	00	02	47
TEHSIL : PACHPADRA		DISTRICT : BARMER	STATE : RAJASTHAN		
11	GUGARI	116/34	00	05	52
		117/34			
		118/34			
		217/36 (G/L)	00	10	48
		37	00	02	83
		38	00	06	36
12	BAGUNDI	5/169 (G/L)	00	21	91
		188/6 (G/L)	00	52	99
		189/6 (G/L)			
		190/6 (G/L)			
		196/9 (G/L)	00	03	75
		197/9 (G/L)			
		198/9 (G/L)			

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		271/61 (G/L)	00	06	19
		272/61 (G/L)			
		273/61 (G/L)			
		269/60	00	03	11
		270/60 (G/L)			
		193/8 (G/L)	00	05	40
		194/8 (G/L)			
		195/8 (G/L)			
		335/114	00	23	91
		336/114			
		337/114			
		332/112	00	40	00
		333/112 (G/L)			
		334/112			

[F. No. R-11025/1/2019-OR-I/E-31849]

P.SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना**नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2021**

का.आ. 677(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4073 (अ) तारीख 10 नवम्बर 2020 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख तारीख 12 नवम्बर 2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में नाचना से पचपदरा रिफाइनरी तक पानी के परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 03 दिसम्बर 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
तहसील : नाचना-2		जिला : जैसलमेर	राज्य : राजस्थान		
1	नाचना बारानी	4210	00	08	40
		4220 / 4445	00	02	59
		4062	00	20	66
		4061	00	70	25
		4060	00	77	52
		4423 / 4447	00	29	11
		4276 / 4445	00	25	58
		4276 / 4443	00	25	58
		4276 / 4454	00	71	27
		4206 / 4457	00	71	27
2	आसकन्द्रा	3	00	32	98
		5	00	09	21
		8	00	80	63
		12	01	00	03
		53	00	31	09
		759	00	04	60
		830 / 1127	00	02	00
3	दिधू	1092 (सरकारी भूमि)	00	30	19
		1095	00	02	95
		1094 / 1689 (सरकारी भूमि)	00	27	24
		1100 / 1688 (सरकारी भूमि)	00	21	43
		1110 (सरकारी भूमि)	00	21	64
		1064 (सरकारी भूमि)	00	78	90
		1666	00	31	60
		1060	00	33	85
		1059 (सरकारी भूमि)	00	44	36
		1057 (सरकारी भूमि)	00	53	19
		1025	00	28	00
		1025 / 1			
	दिधू (जारी...)	1026	00	08	18
तहसील : भणियाणा		जिला : जैसलमेर	राज्य : राजस्थान		
1	माडवा	919 / 98 (सरकारी भूमि)	00	02	55
		98	00	76	97
		218	00	48	09
		226 (सरकारी भूमि)	00	38	45
		235 (सरकारी भूमि)	00	03	34
		424	00	24	49
		424 / 871			
		634 / 424			
		953 / 424			
		431 / 967	00	02	79
		431 / 965	00	10	14
		432	00	03	40
		434	00	11	68
		518	00	01	00
		517	01	07	45
		556 / 1	00	31	14

क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		578	00	19	86
		587 / 577	00	02	18
		573	00	06	31
		608 / 572	00	07	26
		567 / 778	00	15	25
		567	00	32	51
		607 / 567	00	25	63
		566	00	04	71
2	प्रहलादसर	1956 / 938 (सरकारी भूमि)	00	17	81
3	भणियाणा	1282 / 4	01	12	25
4	मेघरिखसर	860 / 3 (सरकारी भूमि)	00	01	65
		858	00	03	25
5	शक्ति फौजदारसर	861 / 1	00	14	59
		856	00	12	15
		850 / 1785	00	18	37
6	दांतल	1	00	31	99
		2	00	14	61
7	झालोडा भाटियान	239	00	41	49
8	जीयासर	254	00	48	27
		266	00	03	46
		267	00	09	16
		268	00	04	62
		298 (सरकारी सड़क पीडब्ल्यूडी)	00	04	62
		310	00	31	51
		309 (सरकारी भूमि)	00	42	36
		311 (सरकारी भूमि)	01	54	82
		297 (सरकारी भूमि)	00	03	39
		289 (सरकारी भूमि)	01	24	56
		283	00	15	14
		283 / 335	00	74	92
		281 (सरकारी सड़क पीडब्ल्यूडी)	00	05	14
		280 / 1	00	04	86
9	मौलाना आजादनगर	177 / 1 (सरकारी भूमि)	00	04	40
10	भीखोडाई जूनी	398	00	01	21
		394	00	05	98
11	गोरालिया गाला	692 / 688	00	39	82
		689 / 378	00	27	42
12	स्वामीजी की ढाणी	83	00	09	12
		74	00	04	60
		72	00	14	33
		70 / 2	00	15	83
13	फलसूण्ड	17	00	04	55
		2452	00	04	41
		3404 / 2470	00	16	58
		2476	00	04	26
		2479	00	06	30

क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
14	जैतपुरा	343 / 236	00	14	33
		332 / 237	00	04	74
		346 / 237	00	01	10
		237	00	51	72
		232	00	61	47
		238 (सरकारी सड़क पीडब्ल्यूडी)	00	05	90
15	कजोई	305 / 240	00	01	95
		240	00	33	48
16	मानासर	2368	00	13	08
		ख.नं. 2768 और 2364 के बीच में (सरकारी सड़क)	00	03	47
		2364	00	05	17

[फा. सं. आर-11025/1/2019-OR-I/E-31849]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2021

S.O. 677(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 4073 (E) Dated 10th November 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 12th November 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Rajasthan for transportation of Water from Nachana to Pachpadra Refinery by HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 03rd December 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan), free from all encumbrances.

HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan), shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
TEHSIL: NACHANA – 2			DISTRICT : JAISALMER		
			STATE : RAJASTHAN		
1	NACHANA BARANI	4210	00	08	40
		4220/4445	00	02	59
		4062	00	20	66
		4061	00	70	25
		4060	00	77	52
		4423/4447	00	29	11
		4276/4445	00	25	58
		4276/4443	00	25	58
		4276/4454	00	71	27
		4206/4457	00	71	27
2	ASKANDRA	3	00	32	98
		5	00	09	21
		8	00	80	63
		12	01	00	03
		53	00	31	09
		759	00	04	60
		830/1127	00	02	00
3	DIDHU	1092 (G/L)	00	30	19
		1095	00	02	95
		1094/1689 (G/L)	00	27	24
		1100/1688 (G/L)	00	21	43
		1110 (G/L)	00	21	64
		1064 (G/L)	00	78	90
		1666	00	31	60
		1060	00	33	85
		1059 (G/L)	00	44	36
		1057 (G/L)	00	53	19
		1025	00	28	00
		1025/1			
	DIDHU (Contd....)	1026	00	08	18
TEHSIL : BHANIYANA			DISTRICT : JAISALMER		
			STATE : RAJASTHAN		
1	MADAVA	919/98 (G/L)	00	02	55
		98	00	76	97
		218	00	48	09
		226 (G/L)	00	38	45
		235 (G/L)	00	03	34
		424	00	24	49
		424/871			
		634/424			
		953/424			
		431/967	00	02	79
		431/965	00	10	14
		432	00	03	40
		434	00	11	68
		518	00	01	00
		517	01	07	45
		556/1	00	31	14
		578	00	19	86
		587/577	00	02	18

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		573	00	06	31
		608/572	00	07	26
		567/778	00	15	25
		567	00	32	51
		607/567	00	25	63
		566	00	04	71
2	PRAHALADSAR	1956/938 (G/L)	00	17	81
3	BHANIYANA	1282/4	01	12	25
4	MEGHARIKHSAR	860/3 (G/L)	00	01	65
		858	00	03	25
5	SHAKTI FAUZDARSAR	861/1	00	14	59
		856	00	12	15
		850/1785	00	18	37
6	DANTAL	1	00	31	99
		2	00	14	61
7	JHALODA BHATIYAN	239	00	41	49
8	JIYASAR	254	00	48	27
		266	00	03	46
		267	00	09	16
		268	00	04	62
		298 (G/L PWD Road)	00	04	62
		310	00	31	51
		309 (G/L)	00	42	36
		311 (G/L)	01	54	82
		297 (G/L)	00	03	39
		289 (G/L)	01	24	56
		283	00	15	14
		283/335	00	74	92
		281 (G/L PWD Road)	00	05	14
		280/1	00	04	86
9	MAULANA AZADNAGAR	177/1 (G/L)	00	04	40
10	BHIKHODAI JUNI	398	00	01	21
		394	00	05	98
11	GORALIYA GALA	692/688	00	39	82
		689/378	00	27	42
12	SWAMIJI KI DHANI	83	00	09	12
		74	00	04	60
		72	00	14	33
		70/2	00	15	83
13	FALSUND	17	00	04	55
		2452	00	04	41
		3404/2470	00	16	58
		2476	00	04	26
		2479	00	06	30
14	JETPURA	343/236	00	14	33

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		332/237	00	04	74
		346/237	00	01	10
		237	00	51	72
		232	00	61	47
		238 (G/L PWD Road)	00	05	90
15	KAJOI	305/240	00	01	95
		240	00	33	48
16	MANASAR	2368	00	13	08
		In Bet.Khasra No.2768 & 2364 (G/L- Road)	00	03	47
		2364	00	05	17

[F. No. R-11025/1/2019-OR-I/E-31849]

P.SOMAKUMAR, Under Secy.